

group 15—59 years for the two surveys are given below:—

Persons days (Million)

	27th round (Oct. 1972—Sept. 1973)		32nd round (July 77—June 78)	
	Male	Female	Male	Female
Rural . . . . .	99.12	43.86	104.85	40.03
Urban . . . . .	27.42	5.10	28.61	5.65

(b) A number of employment/beneficiary oriented programmes like the Small Farmers Development Programmes, the Drought Prone Areas Programmes, the Integrated Rural Development Programme and the Desert Development Programme for increasing the employment level of agricultural labour are being implemented. Side by side, self-employment promotion programmes and entrepreneurship development programmes including the District Centres Scheme, Food for Work Programme, Operation Flood II Programme, training programmes for the rural youths etc., initiated over the past few years have been creating and will continue to create employment opportunities. The 20 Point Economic Programme which had benefited the poor, the landless, the artisans, the handloom weavers, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other socially backward classes is being revitalised and implemented. Agriculture and rural development, with special emphasis on assistance to small and marginal farmers as well as agricultural labourers, are to receive priority in the Government's strategy for rural development.

**श्रमिकों के विवादों पर होने वाले व्यय में भागीदारी**

1335. श्री छोटूभाई गामित: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत श्रमिक विवादों

पर होने वाले व्यय को कर्मचारी तथा नियोजता दोनों के द्वारा ही समान रूप से वहन करने की व्यवस्था हो;

(ख) क्या सरकार को पता है कि विवाद नियोजता के विरुद्ध ही होते हैं और व्यय को केवल श्रमिकों को ही वहन करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टो. अंजैया) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जब श्रम न्यायालयों या औद्योगिक अधिकरणों को मामले भेजे जाते हैं, तब विवाद के पक्षकार उनका प्रतिवाद करने के लिए अपना प्रबन्ध स्वयं करते हैं। इस समय न तो नियोजकों और न ही संबंधित श्रमिकों के पास दूसरे पक्षकार से वह खर्च लेने का कोई कानूनी अधिकार है, जो उन मामलों में किया जाए।

**तिब्बत के विवाद को हल करने के लिए चीन द्वारा प्रस्ताव**

1336. श्री छोटू भाई गामित: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत के विवाद को हल करने के लिए चीनी नेताओं ने एक प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दलाई लामा द्वारा भी कोई संकेत किया गया है; और